

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

बाल संरक्षण सेवाएँ (सी.पी.एस.) के तहत् संस्थागत देखरेख आधारित समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों (नशे में संलिप्त बालकों हेतु विशेष सहायता) के संचालन हेतु पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने संबंधी दिशा-निर्देश

राज्य सरकार द्वारा बच्चों में नशे की प्रवृत्ति रोकने एवं उपचार के लिए “समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र संचालन दिशा-निर्देश, 2021” लागू किये गये है। इन दिशा-निर्देशों के तहत् 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को नशे की परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए समस्त जिला मुख्यालयों पर समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों का संचालन किया जायेगा।

इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अपने प्रस्ताव निम्न वर्णित प्रक्रियानुसार दिनांक 15.09.2021 तक संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (बाल अधिकारिता विभाग) को प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं बाल संरक्षण सेवाओं (सी.पी.एस.) के तहत् बाल गृह संचालन करने वाली अनुदानित स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा **परिशिष्ट-1** में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पंजीकृत बाल गृह का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा **परिशिष्ट-2** में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत बाल गृह के पंजीकरण एवं अनुदान हेतु आवेदन करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा **परिशिष्ट-3** में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। उक्त प्रस्ताव केवल बाड़मेर, बीकानेर, धौलपुर, जैसलमेर, राजसमंद, चूरू, हनुमानगढ़ एवं झुन्झुनू जिले के लिये ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

स्वयंसेवी संगठन/संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप अथवा अपूर्ण भेजे गये आवेदन पत्र अमान्य होंगे।

स्वयंसेवी संगठन/संस्था द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रस्तुत किये जाने वाले
प्रस्ताव का प्रारूप

(किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं
बाल संरक्षण सेवाओं (सी.पी.एस.) के तहत बाल गृह संचालन करने वाली अनुदानित स्वयंसेवी
संस्थाओं हेतु)

दिनांक.....

सेवामें,

सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई एवं
बाल अधिकारिता विभाग,
..... |

विषय:- समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी,
बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा विज्ञप्ति के क्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई.....
..... के समक्ष निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है:-

क. संस्थागत व्यौरा

1. स्वयंसेवी संगठन/संस्था का नाम
2. स्वयंसेवी संगठन/संस्था का पंजीकृत पता
3. स्वयंसेवी संगठन/संस्था का औपचारिक ई-मेल
4. स्वयंसेवी संगठन/संस्था के पंजीकृत बाल गृह का नाम
5. स्वयंसेवी संगठन/संस्था के मुख्य कार्यकारी का नाम.....
6. स्वयंसेवी संगठन/संस्था का सम्पर्क सूत्र नम्बर
7. बाल गृह पंजीयन/नवीनीकरण दिनांक
8. दर्पण पोर्टल का पंजीकरण विवरण.....

ख. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु अनुदानित बाल गृह के लिये अतिरिक्त^{अनुदान} (नशे में संलिप्त बालकों हेतु विशेष सहायता) हेतु व्यौरा

1. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु प्रस्तावित कार्य-क्षेत्र (जिला) का नाम

2. बाल संरक्षण सेवायें योजनान्तर्गत अतिरिक्त अनुदान का मदवार प्रस्ताव.....

ग. प्रमाणित संलग्नकों का ब्यौरा

1. स्वयंसेवी संगठन/संस्था के पंजीयन प्रमाण—पत्र की प्रति।
2. स्वयंसेवी संगठन/संस्था के नियम/विधान, संगम—ज्ञापन।
3. साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति के नवीन पदाधिकारियों की सूची।
4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत पंजीयन/नवीनीकरण के प्रमाण—पत्र की प्रति।
5. बाल गृह में कार्यरत कार्मिकों एवं वर्तमान में आवासित बच्चों की सूची।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्यों का पुलिस सत्यापन (01 वर्ष से अधिक पुराना न हो)।

उक्त आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचना पूर्ण एवं सही है तथा स्वयंसेवी संगठन/संस्था द्वारा कोई जानकारी गलत प्रस्तुत नहीं की गई है।

संगठन/संस्था पदाधिकारी का नाम
एवं हस्ताक्षर मय मोहर

स्वयंसेवी संगठन/संस्था द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रस्तुत किये जाने वाले
प्रस्ताव का प्रारूप

(किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पंजीकृत बाल
गृह का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं हेतु)

दिनांक.....

सेवामें,

सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई एवं
बाल अधिकारिता विभाग,
.....।

विषय:- समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी,
बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा विज्ञप्ति के क्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई.....
..... के समक्ष निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है:-

क. संस्थागत व्यौरा

1. स्वयंसेवी संगठन/संस्था का नाम
2. स्वयंसेवी संगठन/संस्था का पंजीकृत पता
3. स्वयंसेवी संगठन/संस्था का औपचारिक ई—मेल
4. स्वयंसेवी संगठन/संस्था के पंजीकृत बाल गृह का नाम
5. स्वयंसेवी संगठन/संस्था के मुख्य कार्यकारी का नाम.....
6. स्वयंसेवी संगठन/संस्था का सम्पर्क सूत्र नम्बर
7. बाल गृह पंजीयन/नवीनीकरण दिनांक
8. दर्पण पोर्टल का पंजीकरण विवरण.....

ख. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु बाल गृह के लिये अनुदान (नशे में संलिप्त बालकों हेतु विशेष सहायता हेतु अतिरिक्त अनुदान सहित) ब्यौरा

1. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु प्रस्तावित कार्य-क्षेत्र (जिला) का नाम
2. बाल संरक्षण सेवायें योजनान्तर्गत अनुदान का मदवार प्रस्ताव.....

ग. प्रमाणित संलग्नकों का ब्यौरा

1. संस्था के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति
2. स्वयंसेवी संगठन/संस्था के नियम/विधान, संगम-ज्ञापन की प्रति
3. संस्था के बाल देखरेख संस्थान के पंजीयन/नवीनीकरण आदेश की प्रति
4. साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति के नवीन पदाधिकारियों की सूची
5. नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीयन का प्रमाण की प्रति
6. संस्था की मानव संसाधन नीति की प्रति
7. पेन कार्ड की प्रति
8. 12ए पंजीकरण की प्रति
9. 80जी पंजीकरण की प्रति (यदि उपलब्ध हो)
10. संस्था के बैंक खाते के पासबुक के प्रथम पेज की प्रति तथा संस्था का 1 निरस्त चैक, बैंक खाते का अद्यतन विवरण
11. पदाधिकारियों के आधार का नम्बर
12. एफसीआरए नम्बर मय समयावधि (यदि लागू हो)
13. विगत 1 वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट
14. विगत 1 वर्ष में संस्था में लाभान्वित बच्चों की सूची (उपस्थिति पंजिका एवं चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम पर वर्णित बच्चों की सत्यापित सूची)
15. संस्था में नियुक्त कार्मिकों की सूची
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्यों का पुलिस सत्यापन (01 वर्ष से अधिक पुराना न हो)।
17. संस्था में नियुक्त कार्मिकों की सूची मय आधार का नम्बर
18. विगत वित्तीय वर्ष संस्था के लेखा का सनदी लेखाकार से अंकेक्षित प्रमाण पत्र
19. विगत वित्तीय वर्ष जारी किये गये अनुदान का सनदी लेखाकार से अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र
20. विगत वित्तीय वर्ष की बैलेन्स शीट मय नोटस टू द अंकाउन्ट
21. विगत वित्तीय वर्ष की विगत वर्ष की आय और व्यय का विवरण
22. जीएफआर 19
23. प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

24. संस्था के बाल देखरेख संस्थान के भवन किराये हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किराया मूल्यांकन पत्र की प्रति।

उक्त आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचना पूर्ण एवं सही है तथा स्वयंसेवी संगठन/संस्था द्वारा कोई जानकारी गलत प्रस्तुत नहीं की गई है।

संगठन/संस्था पदाधिकारी का नाम
एवं हस्ताक्षर मय मोहर

**स्वयंसेवी संगठन/संस्था द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रस्तुत किये जाने वाले
प्रस्ताव का प्रारूप**

(किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत बाल गृह के पंजीकरण एवं अनुदान हेतु आवेदन करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं हेतु)

दिनांक.....

सेवामें,

सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई एवं
बाल अधिकारिता विभाग,
..... ।

विषय:- समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान स्टेट चार्झल्ड प्रोटोक्शन सोसायटी, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा विज्ञप्ति के क्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई..... के समक्ष निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है:-

क. संस्थागत व्यौरा

1. स्वयंसेवी संगठन/संस्था का नाम
2. स्वयंसेवी संगठन/संस्था का पंजीकृत पता
3. स्वयंसेवी संगठन/संस्था का औपचारिक ई—मेल
4. स्वयंसेवी संगठन/संस्था के मुख्य कार्यकारी का नाम.....
5. स्वयंसेवी संगठन/संस्था का सम्पर्क सूत्र नम्बर
6. दर्पण पोर्टल का पंजीकरण विवरण.....

ख. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत बाल गृह (बालक) के पंजीकरण हेतु व्यौरा

1. बाल गृह संचालन हेतु प्रस्तावित कार्य—क्षेत्र (जिला) का नाम
2. बाल गृह के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में आवेदन.....

ग. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु बाल गृह के लिये अनुदान (नशे में संलिप्त बालकों हेतु विशेष सहायता हेतु अतिरिक्त अनुदान सहित) और

1. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु प्रस्तावित कार्य-क्षेत्र (जिला) का नाम
2. बाल संरक्षण सेवायें योजनान्तर्गत अनुदान का मदवार प्रस्ताव.....

घ. प्रमाणित संलग्नकों का औरा

1. संस्था के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति
2. स्वयंसेवी संगठन / संस्था के नियम / विधान, संगम-ज्ञापन की प्रति
3. संस्था के बाल देखरेख संस्थान के पंजीयन / नवीनीकरण आदेश की प्रति
4. साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति के नवीन पदाधिकारियों की सूची
5. नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीयन का प्रमाण की प्रति
6. गृह संचालन हेतु प्रस्तावित भवन के स्वामित्व / मालिकाना दस्तावेजों की प्रति
7. गृह संचालन हेतु प्रस्तावित भवन किराए का है तो क्या किरायेनामे की प्रति (यदि लागू हो)
8. गृह का ब्लू प्रिन्ट (नक्शा)
9. गृह संचालन हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उपयुक्त स्थान उपलब्ध है अथवा नहीं, का विवरण
10. पंजीयन के नियमों एवं शर्तों की पालनार्थ संस्था द्वारा 100 रुपये के स्टॉम्प
11. संस्था की मानव संसाधन नीति की प्रति
12. पेन कार्ड की प्रति
13. 12 ए पंजीकरण की प्रति
14. 80 जी पंजीकरण की प्रति (यदि उपलब्ध हो)
15. संस्था के बैंक खाते के पासबुक के प्रथम पेज की प्रति तथा संस्था का 1 निरस्त चैक, बैंक खाते का अद्यतन विवरण
16. पदाधिकारियों के आधार का नम्बर
17. एफसीआरए नम्बर मय समयावधि (यदि लागू हो)
18. विगत 2 वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्यों का पुलिस सत्यापन (01 वर्ष से अधिक पुराना न हो)।
20. संस्था में नियुक्त कार्मिकों की सूची मय आधार का नम्बर
21. विगत वित्तीय वर्ष संस्था के लेखा का सनदी लेखाकार से अंकेक्षित प्रमाण पत्र
22. विगत वित्तीय वर्ष जारी किये गये अनुदान का सनदी लेखाकार से अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र
23. विगत वित्तीय वर्ष की बैलेन्स शीट मय नोटस टू द अंकाउन्ट

24. विगत वित्तीय वर्ष की विगत वर्ष की आय और व्यय का विवरण
25. जीएफआर 19
26. प्राप्ति एवं भुगतान विवरण
27. संस्था के बाल देखरेख संस्थान के भवन किराये हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किराया मूल्यांकन पत्र की प्रति।

ड. जिला बाल संरक्षण इकाई की निरीक्षण प्रपत्र में पंजीयन किये जाने के संबंध में निरीक्षण उपरांत स्पष्ट अभिशंषा

उक्त आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचना पूर्ण एवं सही है तथा स्वयंसेवी संगठन/संस्था द्वारा कोई जानकारी गलत प्रस्तुत नहीं की गई है।

संगठन/संस्था पदाधिकारी का नाम
एवं हस्ताक्षर मय मोहर